न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : **बीनू देवल (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 176/2019 (2019/00466)

अनवान

1. भैरूलाल पिता गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमती सुशीला पुत्री गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. श्रीमती अणछी बाई बेवा गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमती केसर बाई बेवा गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमती बगदी बाई पुत्री दला पत्नी प्यारचंद माली नि.मालीयों का मोहल्ला भदेसर तह.भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमती रतनी बाई पुत्री दला पत्नी रमेश माली नि.गिलुण्ड तह.चित्तौडगढ
3. श्री भुमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा.चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री हीरालाल सुखवाल अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 09-04-26

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया की वादीगण एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त आराजी मौजा सावा पटवार हल्का सावा के खाता संख्या 662 मे वर्णित आराजीयात 1487, 1488, 1491, 2033, 2044 कुल किता 05 कुल रकबा 1.05 हे. एंव खाता संख्या 664 मे वर्णित आराजी नं 507 रकबा 0.3000 हे. स्थित है। स्व. अमरा व दलिचंद सगे भाई होकर दोनो सामील सरीक ही रहते थे । स्व.अमरा के एक पुत्र गंगाराम जी हुए , गंगाराम जी की मृत्यु स्व.अमरा के जीवनकाल मे जब वादीगण क्रम संख्या 01 , 02 भैरू लाल व सुशीला 7 माह गर्भ

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

य तभी हो गई एंव वादीगण भैरू लाल व सुरेश के जन्म के 3 वर्ष बाद ही स्व. अमरा जी की भी मृत्यु हो गई। वादीगण भैरूलाल व सुशीला , लक्ष्मी का पालन स्व.दला जी के द्वारा ही किया गया एंव स्व.दला ने ही उनको बडा किया तथा विवाह करवाया एंव दला के संरक्षण में ही रहे। स्व.अमरा के वादी के पिता स्व. गंगाराम व स्व. बदामी उर्फ हगामी बाई वारिसाान हुए परन्तु पटवारी हल्का द्वारा स्व.अमरा के विरासत का नामांतरण दर्ज करते समय वादीगण की माता व वादीगण ननीहाल में रह रहे थे जिससे वादीगण के परिवार में कोई कर्ता धर्ता नहीं रहा एंव स्व.अमरा का विरासत से नामांतरण स्व.हगामी उर्फ बदामी बाई के नाम पर दर्ज कर दिया एंव वादी के पि स्व.गंगाराम की पुर्व में ही मृत्यु हो जाने से उनका नाम विरासत से दर्ज नही हुआ एंव राजस्व इन्द्राज में वादीगण स्व. गंगाराम के वारिसान होते हुए भी पटवारी पटवार हल्का ने बिना जांच पडताल किये वादीगण स्व.अमरा के वैध हल्का की लापरवाही से अकेले स्व.बदामी उर्फ हगामी बाई के नाम पर नामांतरण दर्ज करने से वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ। स्व.अमरा की मृत्यु के बाद स्व.हगामी बाई की भी मृत्यु हो चुकी होकर उनके एक मात्र वारिस पुत्र स्व.गंगाराम हुआ व गंगाराम के वादीगण वारीस होकर स्व.हगामी के खातेदारी आराजी हिस्सा 1/2 स्व.हगामी की मृत्यु हो जाने से वादीगण का एक मात्र प्रथम श्रेणी के वारिसान होकर उनका नाम विरासत से खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायहित में होकर वादीगण का नाम 1/2 हक हगामी के हक हिस्से तक संयुक्त खातेदारी की घोषणा किये जाने हेतू यह वाद पत्र पेश किया है। स्व. हगामी के वादीगण के पुर्वज गंगाराम के सिवाय अन्य कोई संतान नही होकर वादीगण ही एक वारिस है। जिससे स्व.हगामी बाई उर्फ बदामी बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त आराजी हिस्सा वादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी की घोषणा किए जाने एंव स्व. दल्ला की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई जिनका विरासत से इंतकाल दर्ज करते समय पटवार हल्का के द्वारा भुल करते हुए वादीगण को उनका वारिस बताते हुए इंतकाल दर्ज कर दिया जो गलत होकर स्व.दला के मात्र दो पुत्रिया क्रमश : प्रतिवादगण संख्या 01 , 02 है जिससे वादीगण का नाम स्व.दल्ला के हिस्से से डिलीट करते हुए हगामी बाई के हिस्से को वादीगण के खातेदारी मे घोषणा हेतू यह वाद पत्र पेश किया है।

(दीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ांक 07.06.2019 को अपनी दादी की मृत्यु के बाद इंतकाल दरामद करने के लिये नकल निकलवाई एंव नामांतरण का आवेदन किया तो पटवारी द्वारा वादीगण के पिता स्व.गंगाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने तथा वादीगण का नाम स्व.दला के विरासत में दर्ज होने की जानकारी हुई तथा पटवारी पटवार हल्क द्वारा विरासत से नामंतरण दर्ज करने से मना कर दिया जिससे वाद कारण पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सावा के खाता संख्या 662 , 664 मे वर्णित आराजीयात मे पटवार हल्का सावा के द्वारा बिना जांच पडताल किये ही दर्ज नामांतरण को निरस्त करते हुए वादीगण स्व.अमरा के पुत्र गंगाराम के वारिसान होने से स्व.हगामी बाई उर्फ बदामी बाई का नाम हटाया जाकर विरासत से वादीगण के संयुक्त खातेदारी की घोषणा एंव वादीगण का नाम विरासत से स्व.दला के हक हिस्से में सहवन से दर्ज होने से उसे हटाया जाकर स्व.अमरा व गंगाराम के वारिसान के रूप में दर्ज करने की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और अधिवक्ता शुभम सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश कर सहमति का जवाब पेश किया । सहमति का जवाब होने से वाद बिन्दू कायम नही किए गए। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 भैरूलाल का प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी ग्राम सावा खाता संख्या 662 , प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी ग्राम सावा खाता संख्या 664 , प्रदर्श–3 ग्राम पंचायत सावा द्वारा जारी परिचय प्रमाण पत्र प्रदर्शित करवाए।

पत्रावली नियत दिनांक को बहस हेतू न्यायालय के समक्ष पेश हुई । बहस प्रकरण सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौजा सावा के खाता संख्या 662 , 664 मे वर्णित आराजीयात मे पटवार हल्का सावा के द्वारा बिना जांच पडताल किये ही दर्ज नामांतरण को निरस्त करते हुए वादीगण स्व.अमरा के पुत्र गंगाराम के वारिसान होने से स्व.हगामी बाई उर्फ बदामी बाई का नाम हटाया जाकर विरासत से वादीगण के संयुक्त खातेदारी की घोषणा एंव

(बिनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गण का नाम विरासत से स्व.दला के हक हिस्से में सहवन से दर्ज होने से से हटाया जाकर स्व.अमरा व गंगाराम के वारिसान के रूप में दर्ज करने की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादीगण की बहस पर चिन्तन व मनन किया। वाद पत्र के अभिवचनो व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात पर गौर किया गया तो जाहिर हुआ है कि वादीगण स्व.अमरा के वादी के पिता स्व.गंगाराम व स्व. बदामी उर्फ हगामी बाई वारिसान हुए परन्तु पटवार हल्का द्वारा स्व.अमरा के विरासत का नामांतरण दर्ज करते समय वादीगण की माता व वादीगण ननिहाल मे रहते थे जिससे वादीगण के परिवार में कोई कर्ता धर्ता नही रहा एंव स्व.अमरा का विरासत से नामांतरण स्व.हगामी उर्फ बदामी बाई के नाम पर दर्ज कर दिया एंव वादीगण के पिता स्व.गंगाराम की पुर्व में ही मृत्यु हो जाने से उनका नाम विरासत से दर्ज नही हुआ है।

गौरतलब है कि वादीगण एक तरफ तो यह कहता है कि वक्त नामांतरण वादीगण की माता व वादीगण ननिहाल रहते थे जिससे वादीगण का नाम वक्त नामांतरण वाद ग्रस्त आराजीयात मे स्वं.अमरा की विरासत मे दर्ज नही हुआ और दूसरी तरफ वाद पत्र की कलम संख्या 02 मे यह अंकित करता है कि वादीगण का लालन पालन स्व.दला के द्वारा किया गया एंव दला ने ही उनको बडा किया तथा विवाह करवाया एंव दला के सरक्षंण मे ही रहे है। चूंकि यहा उपरोक्त दोनो कथन एक दूसरे के विपरित है क्योंकि जब वादी स्वंय कह रहा है कि वादीगण एंव वादीगण की माता ननिहाल रहते थे तो स्व.दल्ला के द्वारा उनका लालन पालन करने का प्रश्न ही नही उठता है और अगर स्व.दल्ला के द्वारा लालन पालन किया गया तो वक्त नामान्तरण अमरा की विरासत के समय वादीगण के नाम दर्ज नही करने की आपत्ति क्यो नही उठाई गई एंव इतना ही नही स्व.दल्ला की विरासत का नामान्तरण वादीगण के नाम केसे दर्ज हुए जिसका भी कई स्पष्ट उल्लेख नही है। वादीगण द्वारा वाद पत्र मे जिस नामान्तरण का उल्लेख किया है उसकी प्रमाणित प्रतिया भी पेश नही कि और न ही हंगामी का नाम बदामी किस आदेश से हुआ है उसका भी कई उल्लेख नही किया गया है ।

(विनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त विवेचना से वादीगण का वाद पत्र अस्पष्ट होकर साक्ष्य सबूत के अभाव मे प्रमाणित कराने मे असफल होने से वादीगण का वाद पत्र खारीज किए जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र ग्राम सावा के खाता संख्या 662 मे वर्णित आराजीयात 1487, 1488, 1491, 2033, 2044 कुल किता 05 कुल रकबा 1.05 हे. एंव खाता संख्या 664 मे वर्णित आराजी नं 507 रकबा 0.3000 हे. के सम्बन्ध मे साक्ष्य सबूत के अभाव मे प्रमाणित नही पाया जाने से खारीज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(विनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. भैरूलाल पिता गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमती सुशीला पुत्री गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. श्रीमती अणछी बाई बेवा गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमती केसर बाई बेवा गंगाराम माली नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमती बगदी बाई पुत्री दला पत्नी प्यारचंद माली नि.मालीयों का मोहल्ला भदेसर तह.भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमती रतनी बाई पुत्री दला पत्नी रमेश माली नि.गिलुण्ड तह.चित्तौडगढ
3. श्री भुमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा.चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 176/2019 (2019/00466)

वादीगण की ओर से वकील श्री हीरालाल सुखवाल की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादीगण का वाद पत्र ग्राम सावा के खाता संख्या 662 मे वर्णित आराजीयात 1487, 1488, 1491, 2033, 2044 कुल किता 05 कुल रकबा 1.05 हे. एंव खाता संख्या 664 मे वर्णित आराजी नं 507 रकबा 0.3000 हे. के सम्बन्ध मे साक्ष्य सबूत के अभाव मे प्रमाणित नही पाया जाने से खारीज किया जाता है।

यह आज दिनांक ०७/०५/१८ को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner